अनुस्मारक

DGT-TCD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.06.2021

सेवा में,

शहीद विश्वनाथ प्राइवेट आईटीआई, (MIS Code- PR09900032)
गाँव और पोस्ट रेतीपुर परगना और तहसील ज़मानिया,
जिला - गाजीपुर, पिन - 232328, उत्तर प्रदेश

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस का अनुस्मारक |

महोदय,

इस महानिदेशालय द्वारा उपरोक्त विषय पर जारी किये गए सम संख्या पत्र दिनांक 09.04.2021, का संदर्भ ले जो कि उपरोक्त लिखित विषय पर भेजा गया था (प्रतिलिपि संलग्न) | उपरोक्त विषय में मांगे गए स्पष्टीकरण का कोई भी जवाब आपकी और से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है |

इस संदर्भ में आपके द्वारा कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को दिनांक 23.06.2021 तक प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आईटीआई के ट्रैडो / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की कार्यवाही की जाएगी |

- अनुस्मारक का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे |

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश |
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है ।

रवि 15/6/2021

(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-TCD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.
दिनांक- 09.04.2021

सेवा में,

शहीद विश्वनाथ प्राइवेट आईटीआई, (MIS Code- PR09900032)
गाँव और पोस्ट रेतीपुर परगना और तहसील जमानिया,
जिला - गाजीपुर, पिन - 232328, उत्तर प्रदेश

*विषय: **आईटीआई** के **ट्रेडों/** यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।*

महोदय,

इस महानिदेशालय को दिनांक 08.04.2021 को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, जोकि पशुपति नाथ राय, पूर्व विधायक - भाजपा, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर द्वारा भेजा गया है । जिसमे यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी है । (प्रति संलग्न) ।

इसलिए, आपसे अनुरोध किया जाता है कि, यह स्पष्ट करें कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए ।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 26.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए ।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे ।

भवदीय

सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है ।

O/C
CR Please issue
Date-9-4-21

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

पशुपति नाथ राय

पत्रांक..................... दिनांक.....................

16-12-19

माननीय ड/o महेन्द्र नाथ पाण्डेय

मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय : " शहीद विश्वनाथ प्राइवेट आई.टी.आई रेवतीपुर गाजीपुर की स्थायी मान्यता समाप्त किए जाने के संबंध में "

मान्यवर !

कृपया संलग्न आवेदन पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । उक्त प्रतिवेदन शहीद विश्वनाथ प्राइवेट आई.टी.आई रेवतीपुर जनपद गाजीपुर की मान्यता रद्द किए जाने के संबंध में प्रस्तुत है ।

उक्त विद्यालय मेरे गांव में स्थित है एवं जिस भूखंड का नंबर एवं स्थान दिखाकर मान्यता ली गयी, उस स्थान पर स्थित न होकर, एक दूसरे स्थान पर हरिजन की आवंटित भूमि पर जर्बजस्ती बनाकर चलाया जा रहा है । उक्त संबंध मे लखनऊ निदेशालय ने जांच कर के इसकी मान्यता समाप्त करने के संबंध में संस्तुति कर के उप महानिदेशक (प्रशिक्षण/परीक्षा) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को 17-11-2017 को भेजा गया है । पुन: 03-08-2018 को अनुस्मारक पत्र भी लखनऊ से दिल्ली कार्यालय को भेजा गया है। परन्तु दुर्भाग्य पूर्वक कहना पड़ रहा है कि दिल्ली कार्यालय ने अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किया है ।

आप से आग्रह है कि कृपया इस प्रकरण के निस्तारण हेतु एक कमेटी गठित कर समय बद्ध सीमा के भीतर जांच करवा कर त्वरित न्याय दिलाने की कृपा करें । इस विद्यालय के प्रबंधक अत्यंत प्रभाव शाली लोग हैं तथा संबंधित कार्यालयों को प्रभावित कर न्यायोचित कार्यवाही नहीं होने देते |

कृपया न्यायोचित कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु उचित आदेश / निर्देश देने की कृपा करें । जांच के समय शिकायत कर्ता अरविन्द पाण्डेय को भी उपस्थित होने का आदेश देने की कृपा करें ।

सादर

भवदीय

(पशुपति नाथ राय)

प्रेषक,

शिकायतकर्ता
अरविन्द कुमार पाण्डेय,
ग्राम व पो0–रेवतीपुर, पट्टी–रंजीत पाण्डेय,
जिला–गाजीपुर उ0प्र0

सेवा में,

उपमहानिदेशक(प्रशिक्षण/परीक्षा),
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कमरा नं0–102 प्रथम तल,
ओल्ड–सी0आई0आर0टी0एस0 बिल्डिंग, आई0ए0आर0आई0 कैम्पस,पूसा,
नई दिल्ली–110012

विषय– शहीद विश्वनाथ प्राइवेट आई0टी0आई0 रेवतीपुर गाजीपुर उ0प्र0 की स्थाई मान्यता समाप्त किये जाने के लिए दिये गये नोटिस के सापेक्ष विद्यालय प्रबंधन द्वारा फर्जी कागजात प्रस्तुत कर दुःसाहस कर आपको गुमराह कर मान्यता बचाने हेतु प्रयास करने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्रांक सं0–2145/टी–3/उ0प्र0/शिकायत 2017 दि0 03–05–2018 के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि शहीद विश्वनाथ प्राइवेट आई 0टी0आई0 रेवतीपुर गाजीपुर उ0प्र0 पर लगाया गया आरोप सही एवं सत्य है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत है:–

1. इन्होंने जिस भूमि भवन का किरायानामा पट्टा रजिस्टर्ड जो इनके पिता रामचन्द्र सिंह यादव व बड़े पिता विजय नरायन सिंह यादव जो सगे भाई हैं शहीद विश्वनाथ इण्टर कालेज में प्रबन्धक व प्रधानाचार्य हैं तथा शहीद विश्वनाथ निजी आई0टी0आई0 में प्रधानाचार्य हैं। इन्हीं का बेटा अंकित यादव शहीद विश्वनाथ निजी आई0टी0आई0 में प्रबन्धक हैं, की आपस में मिलीभगत से फर्जी व किरायानामा व पट्टा आ0सं0–1344सं0 निर्गित क्षेत्रफल 1080 वर्गमीटर खुला क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर जो आज भी गेहूं बोया गया है जिसका खसरा व जनसूचना रिपोर्ट जिसमें गेहूं बोया गया है, प्रस्तुत है।

2. शहीद विश्वनाथ इण्टर कालेज के नक्शे को दिखाकर बोर्ड बदल कर फर्जी तरीके से अधिकारियों को गुमराह कर मान्यता प्राप्त किया है, जिसके सम्बन्ध में फोटोग्राफ की फोटो स्टेट प्रस्तुत है व जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा इन फर्जी विद्यालय के खिलाफ दि0 08 जनवरी 2018 पत्रांक सं0–7091/आ0लि0–1–2017–18 को चार सदस्यीय जॉच कमेटी गठित की गयी थी

जिसमें राजकीय आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्य को समिति में सदस्य नामित किया गया था जिनके द्वारा 16 अप्रैल 2018 को स्थलीय जॉच की गयी जिनकी रिपोर्ट आज को प्रस्तुत है जिसमें लिखा गया है कि शहीद विश्वनाथ इण्टर कालेज रेवतीपुर गाजीपुर के सामने निर्माणाधीन भवन था जिसमें निर्माण कार्य चल रहा था और निर्माण सामग्री मैदान में पड़ी थी इससे स्वतः स्पष्ट है कि वर्ष 2016 में इण्टर कालेज के भवन को दिखाकर मान्यता ली गयी थी।

3 इण्टर कालेज के सामने जिनको ये आई0टी0आई0 का भवन बता रहे हैं वह हरिजन आबादी के नाम आवासीय आवंटित पट्टे की जमीन है। इण्टर कालेज के सामने आ0नं0–1345 जिसका इन्होंने कूट रचित पट्टा आई0टी0आई0 के नाम किया है इण्टर कालेज से उसकी दूरी 4किमी है तथा इण्टर कालेज के सामने जो गा0सं0–622 में होना बताया गया है के सामने पूरब तरफ आ0नं0–351जिसका नया नम्बर 709 है, जिसमें हरिजनों के नाम पट्टा आवंटित है को इनके द्वारा शहीद विश्वनाथ बनाम विजयनाथ आदि न्यायालय सिविल जज जू0डि0 गाजीपुर वाद सं0–121/98 में इनके द्वारा नक्शा नजरी मौजा रेवतीपुर, परगना जमानिया, जिला–गाजीपुर में प्रस्तुत है संलग्न है।

4 इण्टर कालेज के सामने वाली जमीन पूरब तरफ जिसको इन्होंने आई0टी0आई0 का भवन बताया है , के सम्बन्ध में जागबली बनाम शहीद विश्वनाथ प्रबन्धक विजय नरायन प्रधानाचार्य अंकित यादव के पिता रामचन्दर यादव व जमीदार व भवन के मालिक द्वारिका नाथ पाण्डेय के बीच में रास्ते के विवाद में नजरी नक्शा प्रस्तुत है, में हरिजन की सुरक्षित भूमि व कमिशन रिपोर्ट में हरिजन की परती भूमि अंकित है तथा वास्तविक आवंटियों की सूची व आवंटित आवासितों के पट्टे का नक्शा जो राजस्व विभाग द्वारा व ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित व आवंटित है, की सूची प्रस्तुत है जिसमें क्रम संख्या–126, 127, 128 अयोध्या पुत्र रमायन, रामअवतार पुत्र रमायन, गुलाब पुत्र रमायन व 138, 139, व 140 कान्ता पुत्र नन्हकू, केदार पुत्र नन्हकू, श्री किसुन पुत्र बलदेव के नाम अंकित है व इनके सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत है, में हरिजन आवासितों का नाम होना बताया गया है।

5 शहीद विश्वनाथ निजी आई0टी0आई0 के प्रबन्धक द्वारा यह कहा गया है कि शहीद विश्वनाथ इण्टर कालेज व शहीद विश्वनाथ निजी आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्य अलग अलग हैं, जबकि दोनो के प्रधानाचार्य एक ही रामचन्दर सिंह यादव अंकित यादव के पिता हैं व इण्टर कालेज प्रबन्धक विजय नरायन यादव अंकित यादव के बड़े पिता जी हैं तथा इन तीनों की मिली भगत से फर्जी अभिलेख तैयार कर मान्यता फर्जी तरीके से लिया गया है। आवंटित आवासितों द्वारा इस भवन पर स्वामित्व आवंटियों द्वारा खुद का होना बताया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में समय